

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 231/2017

प्रार्थीगण

वनाम

अप्रार्थीगण

1 हुकमाराम 2 मंगलाराम पिसरान अलसाराम 3 उदाराम 1 पदमाराम पुत्र
पुत्र जैसीगाराम 4 नेनाराम 5 भूपाराम 6 धनाराम पिसरान भीमाराम जाति
मेघाराम 7 गेरोदेवी पत्नी अनोपाराम 8 बवरी पुत्री सुथार निवासी दूढा
अनोपाराम 9 लूणी पत्नी अनोपाराम 10 खेताराम 11 कवास तहसील व
जगदीश 12 राजूराम पिसरान लाधूराम जाति ढाढी जिला बाडमेर 2
निवासी दूढा, कवास तहसील व जिला बाडमेर। तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री कैलाश एन सारण, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 27.2.20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा दूढा कवास पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 498 के वर्तमान खसरा संख्या 995/498, 998/498, 999/498, 1000/498, 996/498, 997/498, 862/498 कुल रकबा 70.12 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 500 में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक-मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने-जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से दर्शाये अनुसार भूमि में से आने-जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण के मौजा दूढा कवास पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 498 के वर्तमान खसरा संख्या 995/498, 998/498, 999/498, 1000/498, 996/498, 997/498, 862/498 कुल रकबा 70.12 बीघा भूमि में से सरकारी मार्ग तक आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि मौजा दूढा कवास पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 500 में से रास्ते हेतु रकबा 0.3 बीघा भूमि बनती है। तहसीलदार बाडमेर ने मौजा दूढा कवास पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 500 में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किरम भूमि	प्रस्तावित भूमि	बरंग
1	2	3	4	5	6	7
1	पदमाराम-पुत्र-भीमाराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	500	25.08	बा.दो.	198 X 13 = 0.03 बीघा	लाल

सहायक कमिश्नर
(SDO) बाडमेर

तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्राथीगण को उसकी खातोदारी के खेत में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा मौकें पर भूमि खाली है। इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नहीं पाया गया।

नकील प्राथीगण की बहस सुनी गई। नकील प्राथीगण को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन स्वीकार है तथा निवेदन किया कि प्राथीगण को आने-जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा दूंडा कवास पटवार शैत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के मूल खसरा संख्या 498 के वर्तमान खसरा संख्या 995/498, 998/498, 999/498, 1000/498, 996/498, 997/498, 862/498 कुल रकबा 70.12 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु अप्राथी संख्या 01 की भूमि से कटाण मार्ग तक जाने हेतु मौजा दूंडा कवास पटवार शैत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 500 रकबा 25.08 में से रास्ते हेतु रकबा 0.03 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में बरंग ताल दर्शायी है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्राथीगण राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाड़मेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लटा ट्रेस में तरगीम करावे तथा अप्राथी पदमाराम पुत्र भीमराम जाति सुधार निवासी दूंडा कवास तहसील व जिला बाड़मेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फौसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 27.2.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

